केन्द्रीय सूचना आयोग
द्वितय तल, अगस्त क्रांति भवन
भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली – 110066.
******

प्रथम अपील सं. CIC/AA/A/2017/281 दिनांक: 22.09.2017
संदर्भ संचिका सं. CICOM/A/2017/00273
CICOM/R/2017/01014

अपीलकर्ता : श्री अशोक कुमार,
पुत्र – श्री श्रीराम, रि0 रे0 स्टे0 मास्टर,
आदर्श नगर कालोनी, गली नं. 1, रोजा जं0,
पो0 – रोजा आर.एस.,
जिला – शाहजहाँपुर, उत्तर प्रदेश ।

निर्णय की तारीख: 22.09.2017

आर.टी.आई. आवेदन की तिथि	09.08.2017
आर.टी.आई. के तहत सूचना प्रदान करने की तिथि	22.08.2017
प्रतिउत्तर देने वाले जन सूचना अधिकारी	श्री ए. के. तलपात्रा
प्रथम अपील दाखिल करने की तिथि	11.09.2017
आयोग में प्रथम अपील का डायरी सं. व तिथि	FAA/373/18.09.2017 (165328/15.09.2017)

1. अपीलकर्ता ने अपने दिनांक 09.08.2017 के आर.टी.आई. आवेदन के माध्यम से आयोग के आदेश सं. CIC/VS//2015/000539-AB के अनुपालन में रेलवे बोर्ड, रेल मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आयोग में दाखिल की गई सूचना की समस्त प्रमाणित छायाप्रति की मांग की थी जिसके प्रतिउत्तर में ए. के. तलपात्रा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकाररी द्वारा प्रदान की गई सूचना के विरुद्ध प्रथम अपील दाखिल किया है तथा उल्लेख किया है कि उन्हें रेल मंत्रालय द्वारा उपलब्ध करवाई गई संपूर्ण सूचना नहीं दी गई है ।

2. संबंधित संचिका का अवलोकन करने पर पाया गया कि श्री ए. के. तलपात्रा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा केवल रेलवे बोर्ड (रेल मंत्रालय) का पत्र सं.आरबी/आरटीआई/2014/010046897 दिनांक 19.05.2017 की प्रति अपीलकर्ता को प्रदान की गई है, इस प्रत्र के साथ अन्य कोई दस्तावेज संलग्न नहीं है । इस सदर्भ में पूछे जाने पर श्री ए. के. तलपात्रा ने सूचित किया कि रेलवे बोर्ड द्वारा आयोग को उपलब्ध करवाए गए उक्त पत्र के साथ अन्य कोई दस्तावेज संलग्न नहीं था, अत: अपीलकर्ता को उक्त पत्र के साथ संलग्नक उपलब्ध करवाने का प्रश्न ही नहीं उठता है । इस सदंर्भ में श्री ए. के. तलपात्रा द्वारा आयोग के उक्त आदेश का अनुपालन हेतु रेलवे बोर्ड (रेल मंत्रालय) को दिनांक 22.08.2017 को पत्र भी लिखा गया है, जिसकी प्रति इस आदेश के साथ संलग्न है । **उक्त परिस्थितियों में श्री ए. के. तलपात्रा द्वारा प्रदान की गई सूचना बिल्कुल सही है तथा इसमें प्रथम अपीलीय अधिकारी के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है ।**

3. तद्नुसार अपील निस्तारित की जाती है ।

4. प्रस्तुत संदर्भ में अपीलकर्ता यदि इस आदेश/निर्णय से संतुष्ट न हों तो अधिनियम की धारा 19(3) के अंतर्गत द्वितीय अपील इस आदेश की प्राप्ति के 90 दिनों के अंदर केन्द्रीय सूचना आयोग, 'सी' विंग, अगस्त क्रांति भवन, भिकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली - 110066 में की जा सकती है ।

संलग्नक – श्री ए. के. तलपात्रा द्वारा रेलवे बोर्ड को लिखे गए पत्र की प्रतिलिपि ।

C. I. C./के० सू० आ०
RECEIVED
22 SEP 2017
D. No.
Initials.

(आर. के. सिंह)
अपर सचिव एवं
प्रथम अपीलीय अधिकारी

प्रतिलिपि :
1. श्री ए. के. शर्मा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, आर.टी.आई. प्रकोष्ठ, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली ।